बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना – 800015.

आम सूचना
निर्वाचक सूची में पंजीकरण हेतु विशेष अभियान कार्यक्रम, 2017

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2017 के संदर्भ में ''कोई मतदाता न छूटे'' सूत्र वाक्य के अनुरूप पहली बार बनने वाले निर्वाचकों पर फोकस करते हुए एवं अर्हता प्राप्त, परन्तु छूटे हुए निर्वाचकों (18–21 वर्ष के आयु वर्ग के युवा भारतीय नागरिक) को पंजीकृत करने के लिए दिनांक–01.07.2017 से 31.07.2017 तक विशेष अभियान कार्यक्रम, 2017 निर्धारित किया गया है।

विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य 18–21 वर्ष के आयु वर्ग के छूटे हुए योग्य नागरिकों को प्राथमिकता देते हुये, उन आवेदकों से प्रपत्रों को प्राप्त कर मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करना तथा मृत निर्वाचकों के नामों को मतदाता सूची से विलोपित करना है।

विशेष अभियान के अवधि में अर्हता प्राप्त सभी योग्य नागरिक, जो पूर्व में निर्वाचक सूची में अपना पंजीकरण नहीं करा पाये हैं, वे अपना फोटो, आयु प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण तथा यथावश्यक घोषणा के साथ मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराने के लिये प्रपत्र–6 में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित विद्यमान तरीकें उपयोग में ला सकते हैः–

- ERO/AERO कार्यालय में प्रपत्र–6 प्रस्तुत करना।
- www.nvsp.in पर प्रपत्र–6 को ऑनलाईन प्रस्तुत करना।
- CSC द्वारा ऑनलाईन प्रपत्र–6 प्रस्तुत करना।

विशेष अभियान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्यः

- युवा निबंधन– अर्हता तिथि 01.01.2017 के संदर्भ में पहली बार मतदाता बनने वाले निर्वाचकों का निबंधन(18–21 वर्ष के आयु),
- लिंगानुपात में समानता (जनगणना के अनुसार),
- दिव्यांग मतदाताओं का निबंधन,
- मृत निर्वाचकों के नाम निर्वाचक सूची से विलोपन करना एवं
- सेवा मतदाता एवं प्रवासी भारतीयों का निबंधन।

विशेष अभियान की गतिविधियांः

(1) 18–19 वर्ष के आयु समूह (21 वर्ष की आयु तक विस्तारणीय) के छूट गए योग्य मतदाताओं को प्राथमिकता देते हुए, आवेदकों से विहित प्रपत्र में आवेदन की प्राप्ति।

(i) विशेष अभियान के अवधि में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित विद्यमान तरीके, आम तौर पर नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेंगेः–

- ई.आर.ओ./ए.ई.आर.ओ. कार्यालय में प्ररूप–6 में आवेदन करना।
- एनवीएसपी डॉट इन के माध्यम से प्ररूप–6 को ऑनलाइन रूप से आवेदन करना।

विशेष अभियान दिवसः विशेष अभियान दिवस दिनांक **08 जुलाई** और **22 जुलाई, 2017 (शनिवार)** को आयोजित किया जाएगा। इन तिथियों को प्रत्येक मतदान केन्द्र में कैम्प लगाए जाएंगे जहां बूथ लेवल अधिकारी आवेदकों से विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्ररूप–6 अपने साथ लेकर बैठेंगे। शिविर के दिन सभी बी०एल०ओ० एवं बी०एल०ए० अपने साथ संपूर्ण अद्यतन निर्वाचक सूची उपलब्ध रखेंगे ताकि नागरिक निर्वाचक सूची में अपना नाम आसानी से देख सकें। उस दिन बी०एल०ओ० द्वारा निर्वाचक नामावली को सार्वजनिक रूप से पढ़ कर भी सुनाया जाएगा। छूट गए योग्य मतदाता प्ररूप–6 भरेंगे और उसे मतदान केन्द्र में ही बी.एल.ओ. को देंगे या विशेष अभियान के दौरान उपलब्ध अन्य साधनों के माध्यम से इसे जमा कराएंगे।

➢ इसके अतिरिक्त दिनांक 21.07.2017 एवं दिनांक 28.07.2017(शुक्रवार) को सरकारी और निजी शिक्षा संस्थानों, वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थानों इत्यादि में भी विशेष शिविर आयोजित किया जाना है, जिसमें युवा निर्वाचकों के पंजीकरण का अभियान चलाया जाना है। इस कार्य हेतु शिक्षा विभाग, कैम्पस अम्बेसडर एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के समन्वय से कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा।

मृत निर्वाचकों के नामों को हटानाः विशेष अभियान के दौरान की जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण गतिविधि मृत निर्वाचकों के नामों को निर्वाचक नामावलियों से हटाया जाना है। विशेष अभियान के दौरान सभी पंजीकृत मृतकों का नाम निर्वाचक सूची से हटाया जायेगा। मृत निर्वाचकों के मामले में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त मृत्यु प्रमाण–पत्र या संबंधित निर्वाचक के निकटतम संबंधियों/निकटतम पड़ोसियों से प्राप्त प्ररूप–7 या उस क्षेत्र में निवास करने वाले कम से कम दो व्यक्तियों के बयान से बी.एल.ओ. द्वारा सम्यक रूप से तैयार की गई सूची के आधार पर नियमानुसार प्रक्रिया के पश्चात विलोपन का कार्य किया जाएगा।

➢ सभी प्रकार के आवेदन प्रपत्र भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाईट www.eci.nic.in अथवा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाइट www.ceobihar.nic.in पर भी उपलब्ध हैं, जहाँ से इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

➢ जन साधारण की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग स्तर पर निर्वाचक सूची से संबंधित सभी सेवाएं राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (National Voter's Services Portal (NVSP)) पर उपलब्ध हैं। इसके लिए www.nvsp.in पर लॉगइन करें व अपनी इच्छित सेवाएं सरलता एवं सुगमता पूर्वक प्राप्त करें।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।